पोलैंड गणराज्य की सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए पोलैंड गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच प्रोतोकोल के साथ 21 जून, 1989 को वारसा में हस्ताक्षरित अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोतोकोल

पोलैंड गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए पोलिस पीपल्स गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधन करने वाले प्रोतोकोल जिस पर 21 जून, 1989 को वारसा में हस्ताक्षर किए गए थे, (जिसे इसके बाद ‘‘करार’’ कहा जाएगा) को निष्पन्न करने की इच्दा से,

निम्नानुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद – 1

इस करार के अनुच्छेद 2 (सम्मिलित कर) का पैराग्राफ 1 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

‘‘1. कर जिस पर यह करार लागू होगा वे हैं :

क) पोलैंड में :

(i) वैयक्तिक आयकर; तथा

(i i) कार्पोरेट आयकर

(इसके बाद इसे ''पोलिस कर'' कहा जाएगा)।''

ख) भारत में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत लागये गये किसी अधिभार तथा उपकर सहित आयकर;
(इसके बाद इसे ''भारतीय कर'' कहा जाएगा)

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएं) में :

1. पैराग्राफ 1 के खंड (क) तथा (ख) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित खंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क) ''पोलैंड'' शब्द से अभिप्रेत पोलैंड गणराज्य तथा जब भौगोलिक ज्ञान में प्रयोग किया जाए इसका अर्थ पोलैंड के गणराज्य के क्षेत्र, तथा पोलैंड गणराज्य के प्रादेशिक जल के पस का कोई क्षेत्र जिसके भीतर कानूनों के अंतर्गत तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसरण में समुद्रतटीय प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण तथा उपयोग के बारे में अधिकार तथा इसकी उपमृदा का प्रयोग किया जा सकता है।''

ख) ''भारत'' शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून, 1982 पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

2. पैराग्राफ 1 क खंड (झ) के बाद निम्नलिखित खंड सम्मिलित की जाएगी :

''(ट) भारत के मामले में ''राजकोषीय वर्ष'' शब्द का अर्थ अप्रैल के प्रथम दिवस से शुरू होने वाले वित्त वर्ष से है।''

अनुच्छेद 3

करार के अनुच्छेद 4 (राजकोषीय निवासी) में पैरागाफ 1 को हटाया जएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी'' शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, निगमन के स्थान, प्रबन्ध-स्थान अथवा इसी स्वरूप के किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और, इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है । तथापि, इस शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।''

अनुच्छेद 4

अनुच्छेद 5 (स्थायी संस्थापन) में पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को सम्मिलित किया जाएगा :

''2क. शब्द ''स्थायी संस्थापन'' में उद्यम द्वारा उन कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के जरिए परामर्शदायी सेवाओं सहित सेवाएं प्रदान करना भी शामिल होगा, जिन्हें उद्यम द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया गया हो, केवल वहीं जहां ऐसे कार्यकलाप (समान अथवा संबंधित परियोजना के लिए) दूसरे संविदाकारी राज्य में 12 महीने की अवधि के भीतर कुल 6 माह की अवधि अथवा उससे अधिक अवधियों के लिए जारी रहते हैं।''

अनुच्छेद 5

करार के अनुच्छेद 10 (संबद्ध उद्यम) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''अनुच्छेद 10
संबद्ध उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।''

अनुच्छेद 6

करार के अनुच्छेद 11 (लाभांश) में पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं।''

अनुच्छेद 7

करार के अनुच्छेद 12 (ब्याज) में :

1. पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

2. पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ ख) के खंड i) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"i) पोलैंड के मामले में बैंक गोस्पोडास्त्वा क्राजोवेगो (बीजीके) ऐसे ब्याज की सीमा में केवल निर्यातों एवं आयातों की वित्त व्यवस्था हेतु आरोप्य है।"

अनुच्छेद 8

करार के अनुच्छेद 13 (रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) में पैराग्राफ 2, 3 और 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं के उपबंध सहित कोई प्रबंध-कार्य, या तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।"

अनुच्छेद 9

करार के अनुच्छेद 14 (पूंजीगत अभिलाभ) में पैराग्राफ 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"4. किसी कम्पनी के जिसकी सम्पत्ति में संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पित्त के मुख्य रूप से प्रत्यक्षः अथवा प्रत्यक्षतः शामिल है, के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।"

अनुच्छेद 10

करार के अनुच्छेद 16 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं) में, पैराग्राफ 2 को खंड क) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"क. प्राप्कर्त्ता, संबंधित वित्त वर्ष में शुरू होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह माह की अवधि में, जो कुल मिलकार 183 दिनों से अधिक न हो, की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित हों, और"

अनुच्छेद 11

करार के अनुच्छेद 21 (विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त की गई अदायगियां) को हटाया जाएगा और निम्न अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त किए गए भुगतान

1. कोई विद्यार्थी अथवा कारोबारी प्रशिक्षु जो एक संविदिाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशथ्क्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसे उसके भरण-पोषण, शिक्षा

अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि ऐसी अदायगियाँ उस राज्य के बाहर के स्रोतों उद्भूत हुई हों।

2. अनुच्छेद 16 के उपबंधों के होते हुए भी, कोई विद्यार्थी या प्रशिक्षु अथवा प्रशिक्षार्थी, जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरंत पहले अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो प्रथमोल्लिखित राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, उसके द्वारा उस प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रदान की गई परावलम्बित वैयक्तिक सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि ऐसी सेवाएं उसकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से सीधे संबंधित हों और आनुषांगिक हो, अथवा उन सेवाओं से प्राप्त पारिश्रमिक उसके भरण-पोषण हेतु साधनों को बढ़ाने के लिए अनिवार्य हों। तथापि, किसी भी स्थिति में इस पैराग्राफ के लाभ प्रथमोल्लिखित राज्य में उसके प्रथमतः आगमन की तारीख से लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रदान नहीं किए जाएंगे।''

अनुच्छेद 12

करार के अनुच्छेद 24 (दोहरे कराधान का अपाकरण) के हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. पोलैंड के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जाएगा :

क) जहां पोलैंड का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां पोलैंड उस निवासी की आय पर कर से छूट के रूप में अनुमति देगा जो भारत में अदा किए गए कर की राशि के बराबर होगी। तथापि, ऐसी कटौती कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसे छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित किया गया है, जैसा भी मामला हो, जो उस आय से प्राप्त है, जिस पर पोलैंड में कर लगाया जा सकता है।

ख) जहां करार के किसी उपबंध के अनुसार, भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, वहां भारत ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि को परिकलित करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

2. भारत के मामले में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

क)	जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार पोलैंड में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय पर कर से छूट के रूप में अनुमति देगा जो पोलैंड में अदा किए गए कर की राशि के बराबर होगी।

तथापि, ऐसी कटौती कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसे छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित किया गया है, जैसा भी मामला हो, जो उस आय से प्राप्त है, जिस पर पोलैंड में कर लगाया जा सकता है ।

ख)	जहां करार के किसी उपबंध के अनुसार, भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, वहां भारत ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि को परिकलित करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद 13

अनुच्छेद 25 (समव्यवहार) में पैराग्राफ 2 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''2.	एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही यह उपबंध अनुच्छेद 7 के पैरग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है। तथापि, कर दर में अन्तर 10 प्रतिशत अंकों से अधिक नहीं होगा।''

अनुच्छेद 14

करार के अनुच्छेद 27 (सूचना का आदान-प्रदान) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी प्रकार एवं विवरण के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्त्तन के प्रयोजनार्थ आनुमानिक रूप से संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।

2. पैराग्राफ - 1 के अंतर्गत किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ-1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। पूर्वोक्त के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना का प्रयोग दूसरे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो और आपूर्तिकर्त्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करता हो ।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की सप्लाई करने से मना करने की अनुमति देना है कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

6. एक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के राज्यक्षेत्र में व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने और संबंधित व्यक्तियों की लिखित सहमति से रिकॉर्डो की जांच करने के लिए प्रवेश की अनुमति दे सकता है। द्वितियोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के साथ मीटिंग के समय एवं स्थान के बारे में अधिसूचित करेगा ।

7. एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को द्वितियोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर जांच के उपयुक्त भाग उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है ।

8. यदि पैराग्राफ 7 में उल्लिखित अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो जांच करने वाले संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी शीर्घातिशीघ्र दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी

को जांच के समय एंव स्थान, जांच को पूरा करने के लिए नामोदिष्ट प्राधिकारी अथवा अधिकारी तथा जांच संचालित करने के लिए प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के बारे में अधिसूचति करेगा । कर जांच संचालित करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले संविदकारी राज्य द्वारा किए जाएंगे ।''

अनुच्छेद – 15

करार के अनुच्छेद 28 (वसूली में सहायता) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''अनुच्छेद – 28
करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है ।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस

राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. जब किसी संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत किसी व्यक्ति के प्रति राजस्व दावा करने से पहले परिसम्पत्तियों को अनुपलब्ध बनाकर अंतिम उपाय करता है, तो दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, यदि प्रथमोल्लिखित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया हो, इसके कानून के उपबंधों में अनुमत सीमा में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस व्यक्ति

6. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

8. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

(क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है;

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा ।

9. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

(क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

(ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

(घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो ।

अनुच्छेद -16

अनुच्छेद 28 के बाद नए अनुच्छेद को निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद -28 क

लाभों का परिसीमन

इस करार के लाभ निम्न को उपलब्ध नहीं होंगे :

(क) संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को (जो व्यष्टि न हो) यदि ऐसे निवासी के सृजन अथवा मौजूदगी का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजना हो;

(ख) संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा की गई कोई व्यवस्था अथवा संव्यवहार के संबंध में, यदि ऐसी व्यवस्था अथवा लेन-देन का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजना इस करार के तहत लाभों को प्राप्त करना था।''

अनुच्छेद-17

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य राजनैतिक चैनलों के जरिए दूसरे को इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए इसके कानून द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में अधिसूचित करेगा। प्रोतोकोल ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना से प्राप्ति की तारीख के बाद तेरह दिन में लागू होगा और इसका निम्न प्रभाव होगा :

(क) पोलैंड में :

i) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में – उस वर्ष के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद प्राप्त आय की राशियों पर, जिस वर्ष में प्रोतोकोल लागू होता है;

ii) आय पर अन्य करों के संबंध में - उस वर्ष के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद प्राप्त आय की राशियों पर, जिस वर्ष में प्रोतोकोल लागू होता है;

(ख) भारत में :

i) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में – उस वर्ष के अगले अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद प्राप्त आय की राशियां के, जिसमें प्रोतोकोल लागू होता है;

ii) आय पर अन्य करों के संबंध में - उस वर्ष के अगले अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद प्राप्त आय की राशियां के, जिसमें प्रोतोकोल लागू होता है;

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, इस प्रोतोकोल के अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंध इन अनुच्छेदों में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में लागू होंगे भले ही ऐसे मामले इस प्रोतोकोल को लागू करने से पहले की तारीख हो अथवा इसके किन्हीं उपबंधों को लागू करने की तारीख से।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

वार्सा में वर्ष दो हजार तेरह के जनवरी माह के उन्तीसवें दिन पोलिश, हिन्दी, एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पोलिश एवं हिन्दी पाठ में अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

पोलैंड गणराज्य की
सरकार की ओर से

श्री रडोस्ला सिकोर्सकी
विदेश मंत्री

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

श्रीमती प्रणीत कौर
विदेश राज्य मंत्री